अति महत्वपूर्ण/समयबद्ध/ई0मेल द्वारा

प्रेषक,

सचिव,
प्राविधिक शिक्षा परिषद,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

सेवा में,

प्रधानाचार्य/निदेशक,
परिषद से सम्बद्ध समस्त
राजकीय/अनुदानित/निजी क्षेत्र
की संस्थाएं।

पत्रांकः प्राशिप/अनु0–6/सैत्रिक अंक/2024/3433 लखनऊः दिनांकः 31/07/2024

विषयः **परिषद द्वारा आयोजित सम सेमेस्टर/वार्षिक परीक्षा/बैक पेपर परीक्षा/विशेष बैक पेपर परीक्षा जून 2024 में सम्मिलित हुए समस्त पाठ्यक्रम के रजिस्टर्ड/रि–रजिस्टर्ड छात्र/छात्राओं के सैत्रिक/गेम्स/अनुशासन अंक ऑनलाइन भराये जाने विषयक।**

महोदय,

कृपया परिषद कर्यायल के पत्र संख्या प्राशिप/अनु0–6/सैत्रिक अंक/जून –2024/3010 दिनांकः 18/07/2024 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। जिसमें सम सेमेस्टर/वार्षिक परीक्षा/बैक पेपर परीक्षा/विशेष बैक पेपर परीक्षा जून 2024 में सम्मिलित हुए समस्त पाठ्यक्रम के रजिस्टर्ड/रि–रजिस्टर्ड छात्र/छात्राओं के सैत्रिक/गेम्स/अनुशासन अंक ऑनलाइन भराये जाने हेतु निर्देशित किया गया था।

उक्त के अनुक्रम में आपको अवगत कराना है कि ऑनलाइन सैत्रिक, गेम्स एवं अनुशासन अंक/SCA अंकों को भरे जाने की अंतिम तिथि 02/08/2024 की मध्यरात्रि 12:00 बजे तक निर्धारित है। उक्त समय के पश्चात पोर्टल स्वतः बन्द हो जायेगा। उपरोक्त निर्धारित तिथि के पश्चात किसी भी दशा में पोर्टल खोला नही जायेगा।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि **परिषद विनियमावली "उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा (प्रवेश, परीक्षाओं का संचालन और प्रमाण–पत्र और डिप्लोमा प्रदान किया जाना) प्रथम संशोधन) विनियमावली 2016 के विनियम 26 के स्तम्भ–2 में एतदद्वारा प्रतिस्थापित विनियम (4) के अनुसार "यह कि संस्था द्वारा एक बार संसूचित और परिषद द्वारा स्वीकार किये गये आंतरिक निर्धारण अंकों (सेशनल, खेलकूल, अनुशासन) में परिणामों की घोषणा के पश्चात परिवर्तन नही किया जायेगा" के अन्तर्गत आप द्वारा ऑनलाइन प्रविष्टि कराये गये एवं परिषद को प्रेषित किये गये सैत्रिक अंकों में किसी भी प्रकार का परिवर्तन/संशोधन परीक्षाफल घोषित होने के उपरांत किया जाना नियम विरूद्ध है। अतः सैत्रिक आदि अंक सूचियों में अंकों की प्रविष्टि सावधानी पूर्वक की जाये।**

अतएव आप द्वारा ऑनलाइन प्रविष्टि कराये गये सैत्रिक अंकों में किसी भी प्रकार का परिवर्तन/संशोधन किया जाना सम्भव नहीं होगा। यदि इस स्थिति में संस्था का कोई छात्र/छात्रा सैत्रिक अंक प्रदान न किये जाने से वंचित रह जाता है, तो इसका समस्त उत्तरदायित्व सम्बन्धित संस्था प्रधानाचार्य/निदेशक का होगा।

भवदीय,

(अजीत कुमार मिश्र)
सचिव।

पृ0सं0ः प्राशिप/अनु0–6/सैत्रिक अंक/2024/3434-36 तद्दिनांकः 31/07/2024

प्रतिलिपिः निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश, कानपुर।
2. समस्त क्षेत्रीय संयुक्त निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश।
3. प्रभारी, कम्प्यूटर अनुभाग, प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0, लखनऊ को इस निर्देश के साथ कि उपरोक्तानुसार समयान्तर्गत कार्यवाही करना सुनिश्चित करें एवं उक्त सूचना वेबसाइट पर प्रदर्शित करना सुनिश्चित करें।

(अजीत कुमार मिश्र)
सचिव।

Scanned with OKEN Scanner